

भाग-क/PART—A

लेखन सामग्री प्रभार रुपए 05/-
Stationery charges: - Rs. 5/- (Rupees five only)

लकड़ी के लिए माँग पत्र
INDENT FORM FOR SAWN TIMBER
(सरकारी आरा मिल, चाथम)
(Govt. Saw Mill Chatham)

टोकन सं./Token No:-
दिनांक/Date:

माँग पत्र सं./Indent Form No.
मुहर/Seal

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)
(To be filled in by office)

किसी प्राधिकृत अधिकारी/स.मि.प्र. के हस्ताक्षर
Signature of AMM/any authorized Officer

INDENT FORM FOR PROCUREMENT OF SAWN TIMBER
लकड़ी की प्रापण के लिए माँग पत्र

1. माँगकर्ता का नाम/Name of Indenter
2. पता/Address
3. दूरभाष/Phone No.....(का)/(O).....(आ)/(Res.)

आवश्यक लकड़ी की मात्रा

Quantity of Sawn timber required: -----कु. मी./Cum ---र. मी./Rmt

4. विनिर्देश/Specification

श्रेणी/ Category	प्रजाति/Species	साईज/Size	र. मी./Rmt	आयतन/ Volume
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
कुल योग/Total				
Total				

(यदि जगह कम पड़ने पर अतिरिक्त पन्ने का प्रयोग करें)
(May use over leaf, if space is not enough)

5. क्या आप कम से कम 40 प्रतिशत पुरानी भण्डार लेने के इच्छुक हैं ?
Are you willing to take at least 40% old stock हाँ/नहीं
Yes/No
6. किस कार्य के लिए लकड़ी की आवश्यकता है/Purpose for which required
7. स्थान जहाँ इस लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा/Location where timber will be used:
8. पिछला प्रापण का विवरण एवं मात्रा/Details of previous procurement & Qty. last procured:
9. (a) वर्ष/Year..... (b) माह/Month.....(c) मात्रा/Quantity.....
10. क्या आपका पिछला माँग पत्र लंबित है ?/Do you have previous indent pending..... हाँ/Yes/नहीं/No
11. यदि सरकारी ठेके के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, तो उसकी योजना तथा आकलन की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें ।/If timber is required for Govt. awarded contract please enclose certified copies of plan & estimate
12. इसमें इससे पश्चात् भाग --ख में दी गई निबंधन एवं शर्तों को पूरी तरह समझ गया हूँ तथा मैं इसका पालन करूँगा ।/Certified that I have fully understood terms & conditions of the sale given hereinafter in Part B & I bind myself to abide by these terms & conditions.
13. टोकन संख्या प्राप्त किया ।/Received Token No.....

माँगकर्ता के हस्ताक्षर/Signature of Indenter

माँगकर्ता के हस्ताक्षर/Signature of Indenter

दिनांक/Date :

टोकन/TOKEN

टोकन संख्या/Token No.....

माँग पत्र संख्या/Indent Form No.....

माँग पत्र में विनिर्दिष्ट आकारों केकु. मी. के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी..... से माँग पत्र संख्या.....प्राप्त किया । आप कृपया चाथम/विजयवाग यार्ड के रेंज अधिकारी से संपर्क कर लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं ।

Received indent No..... From Mr./Mrs/Miss.....for.....cum sawn timber as per sizes specified in indent form. You may please contact Range Officer Yard Chatham/Vijay Baugh to collect the timber.

श्री/श्रीमती/कुमारी/ Shri/Smti/Miss.....

पता/Address.....

प्रभारी, काष्ठ अनुभाग

भाग—ख/PART—B

(कार्यालयीन प्रयोग के लिए)
(For Office use)

माँग पत्र संख्या/Indent Form No.
Token No.

क्र सं./ S. No.	श्रेणी/Category	लम्बाई/Width (सेमी.)/(Cm)	माटाई/ Thickness (सेमी.)/(Cm)	टुकड़ों की संख्या/ No. of Pieces	लम्बाई/ Length (सेमी.)/(Cm)	कुल लम्बाई/ Total Length (सेमी.)/(Cm)	आयतन/ Volume (कुमी.)/(Cum)	मूल्य/Value रु./(Rs.)

नापकर्ता/Measured by

जाँचकर्ता/Checked by

परस्पर जाँच/Cross Checked by

प्रतिहस्ताक्षर/COUNTERSIGNED BY
फॉरेस्ट रेंजर (यार्ड)FR (YARD)

नमूना जाँच/TEST CHECKED BY

स.मि. प्रबंधक/AMM

यार्ड फोरमैन का रिपोर्ट/REPORT OF YARD FOREMAN

बिल संख्या/Bill No..... दिनांक/date..... नगदी रसीद संख्या/Cash receipt No..... दिनांक/date.....
यार्ड से लकड़ी जारी किया गया/Timber issued on..... वोजक /Invoice..... गेट पास संख्या तथा दिनांक/Gate pass
No. & dated

यार्ड फोरमैन के हस्ताक्षर / Signature of Yard Foreman

लकड़ी की बिक्री के लिए निबंधन एवं शर्तें/Terms & Conditions for sale of sawn timber

1. बिका हुआ भाल वापस नहीं लिया जाएगा ।/The goods once sold cannot be taken back.
2. लकड़ी का प्रयोग केवल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के क्षेत्राधिकार में ही किया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार इन द्वीपों से किसी भाग या कहीं और लकड़ी का संचालन निषिद्ध है ।/The sawn timber shall be used strictly within the jurisdiction of A&N Islands. Movement of sawn timber from A&N Islands to any part of India or anywhere else is prohibited by the order of Supreme Court of India.
3. प्रजाति की पहचान, उपयुक्त दर प्रभारण तथा नपाई में, सेल काउन्टर के फॉरेस्ट रेंजर (यार्ड)/विजयबाग का निर्णय अंतिम होगा ।/
Regarding identification of species, charging of appropriate rates & measurements, the decision of the Forest Ranger (Yard)/ (Vijay Baugh) sale counter will be final.
4. यदि माँगकर्ता टोकन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध चिरी लकड़ी को नहीं खरीदता है या ऐसे मामलों में, यार्ड/सेल डिपो में उपलब्ध लकड़ी से 7 (सात) दिनों के भीतर नहीं खरीदता तो उनका/उनकी दावे को रद्द कर दिया जाएगा। स्टॉक की स्थिति पता करना माँगकर्ता का दायित्व है । ग्राहक के लिए एक बार लकड़ी की नपाई तथा मार्किंग हो जाने पर उसे बदला नहीं जाएगा तथा ग्राहक उसे स्वीकारने के लिए बाध्य होगा ।/If the indenter does not purchase the available sawn timber within 15 days from date of obtaining token or within 7 days from availability of sawn timber in Yard/Sale depot as the case may be, his or her claim shall stand forfeited. It shall be the duty of the purchasers to know the position of the stock. The sawn timber once measured marked for customer can not be replaced and it shall be binding on the part of the customer to accept the same.
5. नापी गई तथा बिल वन चुकी लकड़ी को 48 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा फॉरेस्ट रेंजर (यार्ड) या विजयबाग सेल काउन्टर के प्रभारी खरीददार को बिना कोई कारण बताए उसे वरीयता क्रमानुसार के अगले ग्राहक या माँग के अनुसार दूसरे व्यक्ति को देने में सक्षम होंगे । साथ ही 48 घंटे से अधिक रखने की आज्ञा के बाद ग्राहक से रु. 50/- प्रतिदिन प्रति कु. मी. की दर से भूमि किराया भी वसूली जाएगी । /The sawn timbers measured & billed are to be lifted within 48 hrs. otherwise the Forest Ranger (Yard) or incharge Sale Counter, Vijay Baugh is empowered to issue the same to the next customer as per seniority or demand as the case may be without assigning any reason thereof to the purchaser, besides a ground rent at the rate of Rs. 50/- per Cum. each day would be levied if permitted beyond 48 hrs. retentions.

6. गेट पास तैयार करने के पश्चात यदि उसी दिन ग्राहक लकड़ी बाहर ले जाता है, तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में उस दिन यदि लकड़ी लेकर नहीं जा पाया तो ग्राहक सेल डिपो के बंद होने से पहले उप वन संरक्षक से लिखित रूप में आग्रह करने पर इजाजत दी जा सकती है। ऐसे मामलों में ग्राहक को अंतिम निकासी के दिन तक प्रतिदिन प्रति कु. मी. रुपये 50 की दर से भूमि किराया देना होगा तथा गेट पास जारी करने की तारीख से अंतिम निकासी तक लकड़ी की सुरक्षा, संरक्षण आदि का दायित्व सरकार का नहीं होगा। /If the Gate Pass is already prepared permitting the customer to take out the timber, if it is to be taken out on the same day. If in exceptional circumstances because of exigencies, the material is not taken out on the same day, the Dy. Conservator of Forests at his discretion may permit the same in writing provided that the customer applies for the same before closures of the sale on that particular day. In that case the customer has to pay the ground rent at the rate of Rs 50/- per cum. per day. In this case, the Govt. shall not be under any liability for the safe custody, preservation & protection thereof from the date of issue of gate pass till date of final removal.
7. सुपुर्दगी के समय लागू दर--अनुसूची सभी मामलों में लागू रहेगी। /The schedule of rates in force at the time of delivery shall apply in all cases.
8. यदि मध्य में कीमत बढ़ने पर कीमतों का अंतर ग्राहक को देना होगा। यदि किसी परिस्थिति में दर निर्धारण में विलम्ब होने पर उप वन संरक्षक कुछ प्रतिशत अधिक प्रभार लगा सकते हैं जिसका अंतर को बाद में अतिरिक्त लकड़ी को बेच कर समायोजन किया जाएगा। /The difference if any in the price charged would be paid by the customer in case rate is revised in between. If under any circumstances the price fixation is delayed, the Dy. Conservator of Forests may charge certain percentage extra and this difference would be adjusted by sale of additional timber later.
9. जिस उपयोग के लिए ग्राहक ने लकड़ी लिया है, अन्य किसी में उपयोग करने पर भविष्य में उन्हें लकड़ी की विक्री से रोका जाएगा। यदि लकड़ी को दुरुपयोग करता हुआ पाए जाने पर उप वन संरक्षक (मि. म.) या उनके एजेंट विना कोई कारण बताए तथा ग्राहक को क्षतिपूर्ति दिए बिना शेष लकड़ी को जल करने का अधिकार होगा। /Use of sawn timber for any purpose other than that for which it was drawn shall debar the purchaser from future sale. In case of detection of misuse of timber in time, the DCF (MD) or his agent shall have authority to confiscate the balance unused timber with out giving any compensation to the purchaser.
10. यदि ग्राहक को 2 (दो) कु. मी. अधिक लकड़ी की आवश्यकता होने पर 20% पुरानी स्टॉक लेना अनिवार्य होगा। ग्राहक की ओर से यह भी अनिवार्य होगा कि वह 0.5 कु. मी. या उससे अधिक लकड़ी लेने पर 20% कम लम्बाई (शॉर्टलेन्थ) आकस्मिक आकार (इंसिडेन्टल साइज) के लकड़ी भी लेना होगा। /It is mandatory on the part of purchaser to take 20% of old stock, if he/she is indenting for more than 2 cum. It is also mandatory on the part of the purchaser to take 20% short length/incidental sizes, if he/she indents for 0.5 cum. or more sawn timber.
11. हालांकि वरीयता अनुसार माँग की लकड़ी उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया जाएगा लेकिन प्रबंधन की ओर से माँगकर्ता के आवश्यकता को पूरा करने प्रतिबद्धता नहीं होगी। यह साइज ही उपलब्ध किया जाएगा जो सामान्यता उपयोग हो रहे हैं तथा पुन चिरी की अनुमति नहीं होगी। उप वन संरक्षक (मि.म.) /समिप्र/ फोरे (सेल) सुपात्र मामलों में विना बारी के आधार पर तुरन्त विक्री के आदेश दे सकते हैं। यदि माँगकर्ता चाहे तो इस संबंध में जारी परिपत्र का विवरण कार्यालय में देख सकते हैं। /Though attempts will be made to make available the demand of sawn timber as per seniority, there will be no commitment from the management to fulfill the requirement of the indenter. Indent for abnormal sizes shall not be entertained. Only those sizes will be made available which are fit for ultimate use as no resawing shall be allowed. The DCF (MD) /AMM/FR(Y) FR (S) reserves right to order immediate sale in deserving cases on out of turn basis as per the circular issued in this regard. The indenter, if desired, may see the details of circular in office.
12. विक्री पद्धति को सूचारू / निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए उप वन संरक्षक (मि. म.) अपने विवेक से इस पद्धति को बदल सकते हैं। /The entire sale procedure in vogue in the Mill or depot is subject to change at the discretion of DCF (MD) in the interest of smooth process of sale.
13. विक्री करने वाला अधिकारी विना कोई कारण बताए किसी भी माँगकर्ता को लकड़ी खरीदने से रोक या मना कर सकते हैं। /The officer conducting the sale may refuse sale to any indenter or debar the indenter without assigning any reason.
14. किसी भी शिकायत, विवाद के मामले में उप वन संरक्षक (मिल मंडल) इनका निपटान करने वाले प्राधिकारी होंगे। /For any complaints, disputes the Dy. Conservator of Forests, Mill Division will be the authority for settling such complaints and disputes.